न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 19/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– जरनैलसिंह पुत्र श्री लाभसिंह जाति जटसिख निवासी 2–जी–5, सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकार राज ।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट

श्री ललित शर्मा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18–7–2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निलम्बन आदेश दिनांक 7.6.2017, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 233/81/एसडीएम/बीकानेर ओएस नं. 70/95/डीएम/श्रीगंगानगर को नवीनीकरण का आवेदन पत्र विचाराधीन रहने के दौरान ही निलम्बित किया गया और अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्रों को संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के आदेश दिये। अपीलांट ने दिनांक 23.6.2017 को पुनः एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 7.6.2017 को निरस्त कर उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया, जिसे दिनांक 31.10.2017 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 233/81/एसडीएम/बीकानेर ओएस नं. 70/95/डीएम/श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से जारी है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन नं0 16083 दर्ज शुदा है तथा दिनांक 17.9.2015 तक नवीनीकृत है। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया, जिसके विचाराधीन रहने के दौरान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ही जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 7.6.2017 से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 70/95 डीएम श्रीगंगानगर को आगामी आदेश तक निलम्बित करके शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के आदेश दिये। अपीलांट ने पुनः एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.6.2017 को पेश कर उक्त शस्त्र लाईसेंस को बहाल करते हुए नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 23.6.2017 को इस टिप्पणी के साथ – "प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित करने के आदेश दिनांक 7.6.17 एवं आज की परिस्थितियों में कोई अन्तर नहीं आया है। आज भी प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। इन परिस्थितियों में पूर्व में जारी निलम्बन आदेश दिनांक 07.06.2017 में हस्तक्षेप किए जाने का आधार एवं औचित्य नहीं है।" का अंकन कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश त्रुटि पूर्ण एवं अविधिक होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मूल दस्तावेजात व बिना किसी युक्ति युक्त आधारों पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नं. 118/2006 पीएस पदमपुर एवं मुकदमा नं. 164/2014 पीएस घमूड़वाली का विवरण अंकित किया गया है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में उक्त मुकदमा नं. 118/2006 में एफ.आर.सं. 37/2006 लगाई गई है। इस मुकदमा में पूर्व का प्रसंज्ञान आदेश रद्द हो चुका है एवं पुनः कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ है। इस प्रकरण के दर्ज होने मात्र से अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विपरीत उपधारणा नहीं ली जा सकती।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दूसरे मुकदमा नं. 164/2014 के संबंध में कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 23 बीबी तह. पदमपुर की बाबत मुलजिमान द्वारा एक फर्जी इकरारनामा बना लिया था। प्रार्थी को इसकी जानकारी हुई तो मुलजिमान के विरूद्ध प्रार्थी ने एफआईआर सं. 6 दिनांक 17.1.2012 को पुलिस थाना पदमपुर में अन्तर्गत धारा 255,420,468,471,474 व 120(बी) दर्ज करवाई। इस प्रकरण में जांच चल रही थी। इसीरंजिशवश गैरसायलान मुलजिमान

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने उक्त मुकदमा अपीलांट के विरूद्ध झूठा दर्ज करवाया। इस संबंध में विभिन्न उच्चाधिकारियों को प्रकरण में गहन जांच करने हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है। पुलिस द्वारा पूर्व में किये गये अनुसंधान को नहीं मान कर पुनः अनुसंधान करना चाह रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के दर्ज होने मात्र से अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विपरीत उपधारणा नहीं ली जा सकती है। दोनों ही मुकदमें संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोनों ही मुकदमा में प्रार्थी के शस्त्र की संलिप्तता नहीं रही है और ना ही अपीलांट ने आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया है। केवल पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, जो कि पूर्णतया गलत साबित है व द्वेषभावना के आधार पर दी गई है, में अपीलांट की बिना विधिवत् रूप से सुनवाई किये ही एकतरफा रूप से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट शांति प्रिय एवं वरिष्ठ नागरिक है। नहरी विभाग से सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत हुआ है। उसने कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि व फसल की निगरानी हेतु रात के समय भी जाना पड़ता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपने कथनों के समर्थन में AIR 1986 Allahabad 142 (full Banch) chhanga prasad V/s State of U.P., AIR 1972 All 510 Maisuddin V/s Commissioner 2005(2) Cr.L.R.Raj. Page 907 (D.B.) Khemsing V/s State of Raj. and Ors.तथा आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) की उप धाराओं a,b,c,d,e तथा धारा 17 भी उल्लेखनीय बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 1701 दिनांक 2.5.17 में उल्लेखित मुकदमों से स्पष्ट है कि अपीलांट की गांव में आपसी रंजिश है और रंजिश की वजह से लोकशांति भंग होने की पूरी–पूरी संभावना बनी रहती है। पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने को "अनुचित (उचित नहीं है)" बताया है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र को केवल निलम्बित किया गया है, ना ही निरस्त। निलम्बन का आदेश अंतिम आदेश नहीं है। व्यापक लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश उचित पारित किया गया है। परिस्थितियों में सुधार होने पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Reader-I

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के मध्यनजर केवल निलम्बित किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से बताया है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमें गंभीर प्रकृति के नहीं है तथा मुकदमें आपसी रंजिशवश दर्ज हुए हैं, जिनमें एफ.आर. भी लगी है। अपनी बहस में विद्वान अभिभाषक ने स्वंय स्वीकार किया है कि मुकदमें आपसी रंजिशवश हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित है कि अपीलांट व गैर सायलान के मध्य तनाव की स्थिति बरकरार है। अनुसंधान हेतु बार–बार पुलिस को उच्चाधिकारियों द्वारा ताकीद की गई है। व्यापक लोक शांति भंग होने, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की प्रबल आशंका के रहते अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र केवल निलम्बित किया गया है, जिससे हम उचित समझते हैं। विद्वान सहायक लोक अभियोजक के इस कथन से भी हम सहमत हैं कि अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र केवल निलम्बित किया गया है, जो लोक शांति व कानून व्यवस्था के लिये अहतियातन उचित प्रतीत होता है। निलम्बन आदेश अंतिम आदेश नहीं है। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में अक्षरशः लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा अभिभाषक अपीलांट ने कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर विचार किया जा सके। इस प्रकार हम जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट खारिज की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 यथावत रखा जाता है।

8. अतः यह अपील अपीलान्ट तद्नुसार निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Reader-I